27/12/22 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन के बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये। अप्रार्थीगण को कितनी बार रुक रुक कर आवाजें दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 14:08:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान-सरकार

न्यायायल उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

संख्या- 243/22 प्रा0पग

सांवरमल भील s/o श्री देवा भील निवासी भीलखेड़ा उर्फ रामनगर तहसील माण्डल [वगैरा]

–प्रार्थी

बनाम

श्रीमती राधा देवी w/o श्री गोविन्दराम ब्राह्मण निवासी मेजा तहसील माण्डल (वगैरा)
(प्रभावित प्राणपत्र सलंग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक :- 07.02.23

::आदेश::

की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम मेजा पटवार हल्का मेजा तहसील माण्डल में उसके संयुक्त खाते की आराजी नं. 1040, 2677/1040 कुल किता 02 रकबा 0.4932 पर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की गढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनांक 06.12.23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को कनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का री है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते सर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम मेजा पटवार मेजा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आरजी नं. 1040 एव 2677/1040 किता 02 रकबा 0.4932 हेक्टयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू–अभिलेख नक मेजा को 500/- रूपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने क्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की वस्तुस्थिति को बताये रखते हुए मस्तकोल बिन्दु को आधार कर पत्थरगढ़ी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जा...

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 14:08:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा